तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
31/07/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उप. ~~अनुपस्थित~~/ पीठासीन अधिकारी ~~दौरे पर~~/ अन्य कार्य में व्यस्त। आइन्दा पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/08/19 को पेश हो।	
14/08/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उप. ~~अनुपस्थित~~/ पीठासीन अधिकारी ~~दौरे पर~~/ अन्य कार्य में व्यस्त। आइन्दा पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/08/19 को पेश हो।	
28/08/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उप. ~~अनुपस्थित~~/ पीठासीन अधिकारी ~~दौरे पर~~/ अन्य कार्य में व्यस्त। आइन्दा पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/09/19 को पेश हो।	
16/10/19	~~इजलासी पेशी होने पर~~ पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उप.। वकील वादी ने बहस हेतु ~~अनुपस्थित~~/ पीठासीन अधिकारी अवसर चाहा है। आगामी ~~दौरे पर~~/ अन्य कार्य में व्यस्त। पेशी पर आवश्यक रूप से आइन्दा पत्रावली पूर्व आदेशानुसार बहस हेतु हिदायत दी जाकर ~~दिनांक 23/10/19 को पेश हो।~~ मिसल 23/10/19 को पेश हो।	
23/10/19	पत्रावली पेशी में ली गयी। वादी अधिवक्ता ने T.I. बहस से पूर्व मौका कमिश्नर बाबत प्रार्थनापत्र पेश किया। वादी अधिवक्ता द्वारा मौका कमिश्नर प्रार्थनापत्र के निस्तारण पश्चात ही T.I. बहस का आग्रह किया। ~~वादी~~ मौका कमिश्नर प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी जाकर निर्णय प्रार्थनापत्र पर ही लिखा गया व वादी अधिवक्ता को T.I. बहस बाबत हिदायत दी गयी। उभय पक्ष की T.I. पर बहस सुनी गयी। वादी द्वारा यह स्वीकार किया कि प्रतिवादी सं. 1 सांवू देवी प्रार्थी के स्व. भाई नेमीचंद की पुत्री है। वादी का तर्क रहा कि प्रति. सं. 1 का मौके पर कब्जा नहीं है। प्रार्थी का आग्रह वादी के प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त काश्त के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का रहा। प्रतिवादी सं. 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में तर्क किया कि प्रतिवादिया अपने स्व. पिता नेमीचंद की प्रथम श्रेणी की वारिस है तथा संयुक्त खाता की भूमि में सभी सहकाश्तकारों का प्रत्येक इंच पर सामूहिक कब्जा माना जाता है। उभय पक्ष की बहस के तथ्यों पर गौर किया गया। वादी का प्रयास मात्र [illegible] T.I.	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को आदेश से प्रतिवादिया को निषेधाज्ञा [illegible] दर्ज करवाने व रोकने का रहा है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र 2.12 RTA स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। मिसिल वास्ते दि. 23/1/18 को मूल दावा की सुनवाई [illegible]। पत्रावली नियमानुसार पेश हो। [signature] 23.12.17 ([illegible]) [illegible]	